वाद संख्या–67 / 2023
रामजी यादव बनाम् उर्मिला देवी

06.08.2024 इस वाद की सुनवाई दिनांक–16.07.2024 को हुई, जिसमें वादी श्री रामजी यादव के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ हर्ष उपस्थित। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण कुमार लाल उपस्थित। जिला प्रशासन की तरफ से श्री विद्यानाथ पासवान, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर उपस्थित।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा मुखिया पद पर रहते हुए करोड़ो रूपये की सरकारी राशि का गबन किया गया है। इसके लिए उनके द्वारा फर्जी तरीके से बिना काम कराये एम.बी. (Measurement Book) में कार्य को दर्शाकर राशि की निकासी कर ली गयी है, जबकि भौतिक सत्यापन में पाया गया कि वास्तविक रूप में कार्य नहीं कराया गया है। इस संबंध में बताया गया कि जिला प्रशासन द्वारा उक्त राशि के गबन करने के प्रमाणित होने पर उनके विरूद्ध पैसे की **"रिकवरी"** हेतु नीलाम पत्र वाद भी दायर किया गया है। आगे उनके द्वारा बताया गया कि वित्तीय अनियमितता का एक अन्य मामला यह है कि इनके द्वारा पंचायत के राशि से निजी उपयोग हेतु गाड़ी की खरीद की गयी है एवं इस कार्य हेतु उनके द्वारा अपने सासुर के खाते का उपयोग किया गया है तथा नियम के विरूद्ध पंचायत के खाते से सीधे राशि का अन्तरण अपने ससुर के खाते में किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा संलग्न किये गये साक्ष्य का अवलोकन आयोग को कराया गया।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा लगाये गये, सभी आरोप पूर्व के कार्यकाल से संबंधित है। अतः उनके मुवक्किल को वर्तमान कार्यकाल में नहीं हटाया जा सकता।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, बक्सर के प्रतिवेदनों से प्रथम दृष्ट्या यह प्रमाणित पाया गया है कि प्रतिवादी द्वारा फर्जी तरीके से बिना कार्य कराये सरकारी राशि का गबन/दुरूपयोग किया गया है, जिसकी वसूली हेतु जिला प्रशासन की तरफ से निलाम–पत्र वाद दायर किया गया है, परन्तु उक्त वाद पर क्रियान्वयन अत्यन्त धीमी गति से हो रहा है, जो चिन्ताजनक है। भ्रष्टाचार एवं गबन/दुरूपयोग के मामले में दोषी मुखिया के विरूद्ध जिला प्रशासन की तरफ से त्वरित विधि सम्मत कार्रवाई भी अपेक्षित है।

आयोग द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 एवं 136 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में वादी के द्वारा लगाये गये आरोपों का परीक्षण किया गया, तो यह पाया गया कि ऐसे मामलों की सुनवाई की अधिकारिता आयोग में निहित नहीं है, वरन् ऐसे मामले बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–18(5) के अधीन लोक प्रहरी में निहित है, क्योंकि यह मामला निहित शक्तियों के दुरूपयोग से संबंधित है। अतएव आयोग वादी के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता, परन्तु वह संबंधित लोक प्रहरी (प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना) के न्यायालय में वाद लाने हेतु स्वतंत्र है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
06.08.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
06.08.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–67/2023 3187 पटना, दिनांक– 6.8.24

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, **बक्सर**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **बक्सर** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **बक्सर** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

06/8/24
विशेष कार्य पदाधिकारी